भारत एल्यूमिनियम कंपनी में ठेकेदारों को भुगतान

4142. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने ठेकेदारों को 30 जून, 1993 से बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(ग) प्रत्येक ठेकेदार को अदा न की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने अनुभवी ठेकेदारों को निकाल दिया है और आगे के ठेके अनुभवहीन और अपने परिचित ठेकेदारों को दे दिए है जिसके परिणाम-स्वरूप कंपनी को घाटे हुए है;

(ङ) अब तक इस संबंध में कितने संसद सदस्यों ने सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं;

(च) क्या सरकार ने कंपनी के महाप्रबंधक को निर्देश दिए है कि ठेकेदारों को तत्काल भुगतान करे;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) इस विषय पर संसद के दो सदस्यों ने सरकार को लिखा है ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ज) ठेकेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि अगर कोई है, तो कम्पनी की सामान्य वाणिज्यिक गतिविधि है ।

कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी

4143. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी पुरानी है और इसके आधुनिकीकरण के लिए आमंत्रित की गई निविदाओं के मार्गदर्शी सिद्धांत स्पष्ट नहीं हैं;

(ख) क्या मुख्य प्रबंध निदेशक ने यह निविदा किसी अनुभवहीन ठेकेदार को देकर भारी धनराशि अर्जित की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और उक्त मुख्य प्रबंध निदेशक के विरुद्ध सरकार को कितने संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) संसद के चार सदस्यों ने स्मैल्टर के आधुनिकीकरण के लिए दिए गए ठेके के बारे में सरकार को लिखा है जिसकी जांच की जा रही है ।

संसद सदस्यों द्वारा मंत्रालय को लिखे गए पत्र

4144. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ सीम अफजल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान संसद द्वारा मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गए और उनका वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने पत्रों की पावती भेजी गयी;

(ग) कितने पत्रों के संबंध में अंतिम उत्तर दिए गए; और

(घ) मंत्रालय द्वारा जारी किए अंतिम उत्तरों में से क्रमशः कितने उत्तर नकारात्मक थे और कितने सकारात्मक थे ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान संसद सदस्यों से 585 पत्र प्राप्त हुए थे जिनका ब्रेक अप निम्न प्रकार है :--

वर्ष	पत्र
1990-91 . . .	176
1991-92 . . .	155
1992-93 . . .	254

(ख) से (घ) संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्रों की आमतौर पर पावती भेजी जाती है । इसमें से केवल दो पत्र सूचनार्थ थे और 6 पत्र दूसरे मंत्रालयों से संबंधित थे, अतः उन पत्रों को उन्हें भेज दिया गया था । सही सूचना तथा स्थिति सहित 534 पत्रों का फाइनल उत्तर भेज दिया गया था ।